न्यायालय– प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी–श्री एस0एस0गर्ग)

प्र0क0 177/2015 एच0एम0ए0
फाइलिंग नम्बर 230201057612015
संस्थित दिनांक 21.11.2015

1.	[redacted] .....वादिया
बनाम	
1.	[redacted] .....प्रतिवादी

वादी द्वारा– श्री [redacted], अधिवक्ता।
प्रतिवादी द्वारा– [redacted]।

//निर्णय//

// आज दिनांक 25.01.2017 को घोषित किया गया//

1– यह दावा वादिया श्रीमती [redacted] द्वारा प्रतिवादी बनवारी के विरूद्व धारा 13 एच0एम0ए0 के तहत विवाह विच्छेद की आज्ञाप्ति प्राप्त करने हेतु पेश किया है।

2– प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 21.12.2016 को अनावेदक के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

3– प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिया का विवाह प्रतिवादी के साथ दिनांक 15.02.2006 को हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार [redacted] जिला [redacted] में संपन्न हुआ था। वादिया के माता पिता द्वारा शादी में सोने–चॉदी के सामान एवं कूलर, अलमारी, बर्तन एवं 50,000/– रूपये नगद दिये थे। वादिया के अनुसार उसे प्रतिवादी ने कभी अच्छी तरह से नहीं रखा, हमेशा परेशान करता रहा। वादिया एवं प्रतिवादी के सहवास से पुत्री [redacted], उम्र 06 वर्ष का जन्म हुआ, जो उसके पास है।

4– वादिया के अनुसार प्रतिवादी एवं उसके परिवारजन बार–बार मोटरसाइकिल की मॉग करते थे एवं मारपीट करते थे तथा प्रतिवादी उसे अकेला घर छोड़कर मुरैना आकर अन्य महिला के साथ रहता था जिसके संबंध में उसने पिता को बताया। तब

वादिया के पिता पंचायत लेकर गये तो प्रतिवादी के द्वारा कहा गया कि ऐसे ही रहेगा अगर लड़की को अच्छी तरह से रखवाना है तो मोटरसाइकिल और 50,000/– रूपये नगद दो तभी वादिया को रखेंगे। दहेज की मॉग पूरी न करने के कारण उसे दिनांक दावा दायरी दिनांक से करीब 3 वर्ष पूर्व संपूर्ण सोने चॉदी के जेवरात उतरवाकर मात्र पहने हुये एक जोड़ी कपड़ों पुत्री सहित घर से निकाल दिया तभी से वह अपने पिता के घ ार मुरैना में निवास कर रही है।

5– वादिया के अनुसार उसने घर से निकालने की रिपोर्ट थाना कैलारस में की, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। वादिया के पिता ने प्रतिवादी को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रतिवादी उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसके अन्य महिला से संबंध हैं। वादिया को प्रतिवादी ने कभी भी शारीरिक सुख नहीं दिया। उसके वैवाहिक जीवन में क्लेश उत्पन्न कर दिया। वादिया के अनुसार उसके एवं प्रतिवादी के मध्य पिछले तीन सालों से शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुये। वैवाहिक जीवन में क्लेश उत्पन्न होने से उसका प्रतिवादी के साथ रहना संभव नहीं है।

6– वादिया के अनुसार उसे प्रतिवादी से स्थाई रूप से भरण पोषण राशि तीन लाख रूपये एवं 5,000/– रूपये प्रतिमाह एवं नाबालिग पुत्री [redacted] के स्थाई भरण पोषण एवं पढ़ाई लिखाई हेतु पॉच लाख रूपये तथा 5,000/– रूपये प्रतिमाह एवं दावा व्यय 1,000/– रूपये व अभिभाषक शुल्क 3,000/– दिलाये जाने का भी निवेदन किया है। इस प्रकार वादिया ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसका विवाह विच्छेद वाद पत्र स्वीकार किया जाकर उसके एवं प्रतिवादी के मध्य हुये संपन्न विवाह दिनांक 15.02. 2006 को विच्छेदित घोषित किया जावे।

7– प्रतिवादी की ओर से इस प्रकरण में दिनांक 29.02.2016 से अधिवक्ता श्री [redacted] ने पैरवी की। उसके बाद दिनांक 21.12.2016 से अनावेदक अनुपस्थित हो गया है। दिनांक 18.11.16 को प्रतिवादी के जवाब का हक समाप्त किया गया है। उसकी ओर से कोई जवाबदावा भी प्रस्तुत नहीं किया है और न ही वादिया साक्षियों से कोई प्रतिपरीक्षण किया गया है। इस प्रकार इस प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

8– अब विचारणीय प्रश्न हैं किः–

1– क्या वादिया, प्रतिवादी से विवाह विच्छेद व डिक्री पाने की अधिकारी है?

2– सहायता एवं व्यय?

सकारण निष्कर्ष

9– वादिया ममता के अनुसार उसकी शादी अनावेदक/प्रतिवादी के साथ दिनांक 15.02.2006 को हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार ग्राम ठाटीपुरा तहसील व जिला मुरैना में संपन्न हुई थी। उसके पिता ने विवाह में सामर्थ्यनुसार दान दहेज दिया था। वह पत्नि के रूप में रही तथा पत्नि धर्म का पालन किया। दोनों के सहवास से पुत्री मुस्कान का जन्म हुआ, जो कि उसके पास है। इस बात की पुष्टि उसके पिता रमेश वा0सा0–2 ने की है। यह साक्षीगण अपने इस कथन से मुख्य बिन्दुओं पर अखण्डित रहते हैं। प्रतिवादी की ओर से खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई और न साक्षियों से प्रतिपरीक्षण किया गया है। खण्डन साक्ष्य के अभाव में यह साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होती है।

10– वादिया ममता के अनुसार प्रतिवादी एवं उसके परिवारजन बार–बार दहेज की मॉग करते रहे तथा उसकी मारपीट करते रहे, उसे घर पर अकेला छोड़कर प्रतिवादी मुरैना में आकर अन्य महिला के साथ रहता है। उसका तथा उसकी बच्ची का भरण–पोषण नहीं किया है। उसके पिता दो बार ठाटीपुरा में पंचायत लेकर गये थे, उन्होंने रखने से मना कर दिया था तथा उस पंचायत में दहेज की मॉग को दोहराया था। इस बात की पुष्टि रमेश वा0सा0–2 ने की है। इस साक्षी के अनुसार प्रतिवादी ने तीन साल तक वादिया को रखा, वह शराब पीकर उसके साथ झगड़ा कर मारपीट करता था। इस कथन से यह साक्षी अखण्डित रहता है। प्रतिवादी की ओर से खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण किया गया है। इस बिन्दु पर साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होती है।

11– [redacted] के अनुसार दिनांक 20.01.2012 को उसके पिता द्वारा दिये गये समस्त सोने के जेवरात उतरवाकर मात्र पहने हुये कपड़ों में नाबालिग पुत्र के साथ घर से निकाल दिया, तब से वह अपने पिता के घर निवास कर रही है। इसकी रिपोर्ट उसने थाना कैलारस में की थी, परंतु उसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस साक्षी के अनुसार प्रतिवादी अवैध रूप से अन्य महिला को रखे हुये हैं। इस साक्षी के अनुसार ठाटीपुरा कैलारस में पंचायत हुई थी, परंतु प्रतिवादी ने उसे रखने से इंकार किया था, क्योंकि अन्य महिला को रखे हुये हैं, उसे कभी लेने नहीं आया। इस कथन से साक्षिया अखण्डित रहती है। अब मैं रमेश के कथन को इस बिन्दु पर देखे जाना उचित समझता हूॅ।

12— रमेश के अनुसार वादिया ममता उसकी पुत्री है। उसने करीब 10 साल पहले ममता की शादी प्रतिवादिया बनवारी के साथ की थी। चार साल पहले दहेज के लालच में बनवारी ने उसे नाबालिग पुत्री सहित घर से निकाल दिया तथा प्रतिवादी उसे लेने नहीं आया। वह दो बार पंचायत लेकर बया था। उसके बावजूद भी उसने रखने से इंकार कर दिया है। इस कथन से साक्षी अखण्डित रहता है। खण्डन साक्ष्य के अभाव में यह साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होती है।

13— वादिया ममता के अनुसार प्रतिवादी ने उसके वैवाहिक जीवन में क्लेश पैदा किया है। वह पिछले 3 साल से अलग रह रही है। प्रतिवादी शराब पीकर झगड़ा करता था तथा दहेज की मॉग करता था। उसके पिछले 3 साल से कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुये तथा उसके वैवाहिक जीवन में क्लेश पैदा हुआ। उसके अनुसार अब उसका प्रतिवादी के साथ रहना संभव नहीं है। साक्ष्य पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि दो बार पंचायत के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में मेरे मत में वादिया यह प्रमाणित करने में सफल रही है कि प्रतिवादी ने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया। अतः मेरे मत में दोनों का पति—पत्नि के रूप में रहना संभव प्रतीत नहीं है तथा वादिया का विवाह विच्छेद का निवेदन उचित एवं तर्कसंगत होना प्रतीत होता है।

14— वादी ने अपने अभिवचन की कंडिका 11 में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रतिवादिया से उसे तीन लाख रूपये स्थाई भरण पोषण तथा 5,000/— रूपये मासिक तथा पुत्री के लिये स्थाई भरण पोषण के रूप में पॉच लाख रूपये तथा 5,000/— रूपये प्रतिमाह भरण पोषण की मॉग की है तथा दावे की कंडिका क्रमांक 15 सहायता एवं व्यय में इस बात का उल्लेख किया है कि अन्य न्यायोचित सहायता दिलाई जावे। इस बिन्दु पर जो साक्ष्य आई है, उसे मैं देखे जाना उचित समझता हूॅ।

15— ममता ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 11 में इस बात का उल्लेख किया है तथा उसके पिता रमेश ने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा क्रमांक 4 में किया है। ममता ने अपने कथन के पैरा क्रमांक 13 में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रतिवादिया सटरिंग की ठेकेदारी करते हुये 15,000/— रूपये मासिक कमाता है, जबकि रमेश के अनुसार वह 15—20 हजार रूपये प्रतिमाह कमाता है। इन दोनों साक्षियों के कथनों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी उनका भरण पोषण एवं देखभाल नहीं कर रहा है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मेरे मत में वादिया स्थाई भरण पोषण राशि अपने लिये 3,000/— रूपये प्रतिमाह के हिसाब से तथा पुत्री के लिये 2,000/— रूपये

प्रतिमाह के हिसाब से आवेदन दिनांक से स्थाई भरण पोषण पाने की अधिकारी है। उक्त भरण पोषण राशि प्रत्येक माह की पॉच तारीख को आवेदन दिनांक से देय होगी। आवेदन दिनांक से निर्णय दिनांक तक की राशि चार समान किश्तों में निश्चित अंतराल से देय होगी। इसके अलावा बच्ची मुस्कान की शादी के लिये एकमुश्त तीन लाख रूपये दिलाया जाना उचित समझता हू। प्रतिवादिया यह राशि एक माह के अंदर मुस्कान के नाम से बैंक में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करेगा, जिसका भुगतान शादी के समय किया जावेगा। यदि प्रतिवादी उक्त राशि अदा करने में चूक करता है तो इसे विधिवत् वसूल किया जा सकता है।

16— अतः वादिया ममता का दावा अंतर्गत धारा 13 एच.एम.ए. इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है कि उनके मध्य संपन्न विवाह दिनांक 15.02.2006 को विच्छेदित घोषित किया जाता है। वादिया उपरोक्तानुसार मासिक भरण पोषण एवं पुत्री के लिये स्थाई भरण पोषण एवं पुत्री की शादी के लिये तीन लाख रूपये पाने की अधिकारी है।

17— प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये वादिया का व्यय भी प्रतिवादी वहन करेगा।

18— तद्नुसार डिक्री बनाई जावे।

19— अधिवक्ताशुल्क प्रमाणित होने पर, सूची अनुसार देय हो।

(एस0एस0गर्ग)
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय
मुरेना (म0प्र0)

निर्णय मेरे बोलने पर लिखा गया एवं
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

(एस0एस0गर्ग)
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय
मुरेना (म0प्र0)